रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED NO. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 1977/कार्तिक 13, 1899
No. 472] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 1977/KARTIKA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th November 1977

S.O. 752(E)/18AA/IDRA/77.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking known as Messrs Somasundaram Super Spinning Mills, Muthanendal, Ramanathapuram Dist, Tamil Nadu, has been closed for a period exceeding three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, cotton textile industry, and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such underaking are such that it is possible to re-start the underaking and such restarting is necessary in the interests of the general public,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Tamil Nadu Textile Corporation (hereinafter referred to as the "authorised person") to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely —

(1) The authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government

(2) The authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

(3) The Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette

[No. F. 3(14)/77-CUC]

G N MEHRA, Jt Secy

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1977

का० आ० 752 (अ)/18/कक/उविविअ/77.—केन्द्रीय सरकार का ऐसे दस्तावेजो से, जो उसके कब्जे मे है, यह समाधान हो गया है कि मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथनेन्दल, रामनाथ पुरम जिला तमिलनाडु नामक औद्योगिक उपक्रम को तीन मास से अधिक अवधि तक बद रखा गया है और ऐसी बदी का सबधित अनुसूचित उद्योग, अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है, और उस औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी की वित्तीय स्थिति और ऐसे औद्योगिक उपक्रम के सयत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम को पुन. प्रारम्भ करना सभव है और ऐसा पुनरारम्भ साधारण जनता के हित मे आवश्यक है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु वस्त्र निगम को (जिसे इसमे इसके पश्चात 'प्राधिकृत व्यक्ति' कहा गया है) उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबध निम्नलिखित निबधनो और शर्तों के अधीन ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् —

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशो का पालन करेगा ।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति राजपत्र मे उस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पाच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो पहले भी प्रयवसित कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर पाच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[म०फा० 3(14)/77-सी०यू०सी०]

जी० एन० मेहरा, सयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977